2-3-15 पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/~~ ~~अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/~~उभयपक्ष उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/~~अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3-3-16 को पेश हो।

रीडर

3-3-16 वकील उभयपक्ष उपस्थित है। तलबी प्रतिवादी नं० 2, 3, 4, 5, 9, 12 की जाकर पत्रावली दि० 16-3-16 को पेश हो।

16-3-16 वकील उभयपक्ष उप० है। तलबी प्रतिवादी नं० 2, 3, 4, 5, 9, 12 की जाकर पत्रा- दि० 4-5-16 को पेश हो।

4-5-16 वकील उभयपक्ष उप० है। पत्रावली दि० 10-5-16 को कैम्प नारायणपुर पर पेश हो।

उप ... कलेक्टर
गंगापुर सिटी

1541-5/
6-5-16

10-5-2016 पत्रावली लोक अदालत कैम्प नारायणपुर पर पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित है। पक्षकारों ने राजीनामा इस आशय का पेश किया कि यह बाद वादीगण ने भूमि ख० नं० 455/0.26 ग्राम नारायणपुर के बाबत पेश कर यह जमीन वादीगण की खातेदारी में दर्ज करने का निवेदन किया है क्योंकि इस भूमि के बदले में प्रतिवादीगण से वादीगण को भूमि ख० नं० 482, 483, 484 कुल रकबा 26 एयर देना तय हुआ था परन्तु यह भूमि रहन होने के कारण वादीगण की खातेदारी में नहीं आ सकी जबकि ख० नं० 455/0.26 की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गई। अब पक्षकार इस बात पर सहमत है कि भूमि ख० नं० 482, 483, 484 कुल रकबा 26 एयर की रजिस्ट्री बयनामा प्रतिवादीगण वादीगण के नाम करा देंगे तथा भूमि रहन के जो इन्द्राज हैं वे वादीगण के नाम स्थानान्तरित हो जावेंगे। इसमें कोई भी प्रतिवादीगण किसी प्रकार की अड़चन नहीं डालेगा। रहन का पैसा प्रतिवादीगण जमा

राम ... हजारी
... शंकर
... मीणा
... मीणा
... मीणा

जगदीश
... मीणा
भवानी...

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	करायेंगे व भूमि को रहनमुक्त करवा कर भूमि का नामान्तरकरण वादीगण के नाम करायेंगे। भूमि का बयनामा एक माह में आवश्यक रूप से प्रतिवादीगण करवा देंगे। इसकी पालना नहीं करने पर वादीगण को पुन: वाद दायर करने का अधिकार होगा। इस राजीनामे के अनुसार वादीगण को यह वाद वापिस लेने की अनुमति दी जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर पक्षकारों को सुना गया। राजीनामा स्वीकार किया जाकर राजीनामा अनुसार वाद निर्णित किया जाकर वादीगण को वाद वापिस लेने की अनुमति दी जाती है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (सतीश कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी (रविकुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी (मुनिदेव यादव) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

नम्बर व
अहकाम
हुक्म क
में जा

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) नारायणपुर

पीठासीन अधिकारी–: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

1. जगदीश पुत्र रतन्या, मीना निवासी नारायणपुर तहसील गंगापुर सिटी
2. कैलाश पुत्र रतन्या, मीना निवासी नारायणपुर तहसील गंगापुर सिटी
3. शंकर पुत्र रतन्या, मीना निवासी नारायणपुर तहसील गंगापुर सिटी ——वादीगण

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र गेन्दया, मीना निवासी नारायणपुर तहसील गंगापुर सिटी
2. सरबती पत्नि भैरूलाल, मीना निवासी नारायणपुर तहसील गंगापुर सिटी
3. रूपा पुत्री भैरूलाल, मीना निवासी नारायणपुर तहसील गंगापुर सिटी
4. सुलेखा पुत्री भैरूलाल, मीना निवासी नारायणपुर तहसील गंगापुर सिटी
5. लेखा पुत्री भैरूलाल, मीना निवासी नारायणपुर तहसील गंगापुर सिटी
6. रामसिंह पुत्र गेन्दया, मीना निवासी नारायणपुर तहसील गंगापुर सिटी
7. रामधीज पुत्र गेन्दया, मीना निवासी नारायणपुर तहसील गंगापुर सिटी
8. जीतराम पुत्र गेन्दया, मीना निवासी नारायणपुर तहसील गंगापुर सिटी
9. रामबल पुत्र करणफूल, मीना निवासी नारायणपुर तहसील गंगापुर सिटी
10. देवकिशन पुत्र रामफूल, मीना निवासी नारायणपुर तहसील गंगापुर सिटी
11. पन्नी बेवा रामफूल, मीना निवासी नारायणपुर तहसील गंगापुर सिटी
12. सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 58/2015

वादीगण की ओर से वादी जगदीश, कैलाश वगैरा की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी रामस्वरूप वगैरा की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 10.05.2016 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार प्रतिवादीगण भूमि खस0 482, 483, 484 कुल रकबा 26 एयर ग्राम नारायणपुर की रजिस्ट्री एक माह में वादीगण के नाम करायेंगे। भूमि के रहन का जो इन्द्राज है वह वादीगण के नाम स्थानान्तरित हो जावेगा। रहन का पैसा प्रतिवादीगण जमा करायेंगे व भूमि को रहन मुक्त करवा कर भूमि का नामान्तरकरण वादीगण के नाम करवायेंगे। इसकी पालना नहीं करने पर वादीगण को पुनः वाद दायर करने का अधिकार होगा। साथ ही राजीनामा अनुसार वादीगण को वाद वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाती है। राजीनामा डिक्री का हिस्सा रहेगा।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 10.05.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

कार्यालय-उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प		
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
4 ....रूपये पर प्लीडर की फीस		प्लीडर की फीस
5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय		साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय
6 कमिश्नर की फीस		आदेशिका की तामील
7 आदेशिका की तामील		कमिश्नर की फीस
जोड		जोड

कार्यालय-उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स०मा०)

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी